

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 223 /सी-32642/11/वित्त/नियम/चार,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2011

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

**विषय:-** नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में ।


- संदर्भ:-** 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.980/सी-761/वि/नि/चार, दिनांक 27.10.2004  
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.31/सी-2742/वि/नि/चार/06, दिनांक 01.02.2006  
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.312/सी-2742/वि/नि/चार/2006, दिनांक 20  
सितम्बर, 2006 ।

संदर्भित ज्ञापनों द्वारा दिनांक 01.11.2004 या इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 के स्थान पर नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है ।

2/ वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 31/सी-2742/वित्त/नियम/चार/2006 दिनांक 01 फरवरी 2006 के साथ संलग्न नवीन अंशदायी पेंशन योजना के मार्गदर्शी बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार यह योजना शासन के समस्त स्थाई एवं अस्थायी नियमित कर्मचारी तथा आकस्मिकता एवं कार्यभारित सेवा के स्थाई सदस्यों को लागू है । राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि उक्त योजना आकस्मिकता/कार्यभारित सेवा के अस्थायी सदस्यों के लिये भी लागू की जाए ।

यह आदेश दिनांक 01.11.2004 से प्रभावशील माना जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग